रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3205] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 2017/कार्तिक 29, 1939
No. 3205] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 2017/KARTIKA 29, 1939

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2017

का.आ. 3659 (अ).–केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2241(अ), तारीख 14 जुलाई 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 14 जुलाई, 2017 में प्रकाशित की गई थी, में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

1. क्रम संख्या 1 के सामने, सक्षम प्राधिकारी से संबंधित कॉलम (2) के अन्तर्गत प्रविष्टि "राजस्व मंडल कार्यालय, सूर्यापेट" के स्थान पर प्रविष्टि "राजस्व मंडल अधिकारी, सूर्यापेट" हिंदी पाठ में प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. क्रम संख्या 2 के सामने, जिला "खम्मम", तालुक "1. कुसुमंची", पुलिस थाना "कुसुमंची" से संबंधित कॉलम (7) के अन्तर्गत प्रविष्टि "(5) जील्लाचेरूवु" के स्थान पर प्रविष्टि "(5) नेलपट्ल, (6) जील्लाचेरूवु, (7) मुनिगेपल्ली" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयु/केएमएम/डीपीआर/एलए/2017]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या का.आ. 2241(अ), तारीख 14 जुलाई, 2017, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 14 जुलाई, 2017 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2017

S.O. 3659 (E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2241(E) dated the 14th July, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section3, Sub-section (ii) dated 14th July, 2017 namely:—

In the Schedule to the said Notification.

(1) Against Sr.No.1, relating to Competent Authority, under column (2), for the entry "राजस्व मंडल कार्यालय, सूर्यपेट" the entry "राजस्व मंडल अधिकारी, सूर्यपेट" shall be substituted in Hindi version.

(2) Against Sr.No.2, relating to District "Khammam", Taluk "1.Kusumanchi", Police Station "Kusumanchi", under column (7), for the entry "(5) Jeellacheruvu", the entry "(5) Nelapatla, (6) Jeellacheruvu, (7) Munigepally shall be substituted.

[F. No. NHAI/PIU-KMM/DPR/LA/2017]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Foot Note : The principal notification was published *vide* S.O. 2241(E) dated the 14th July, 2017 in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section3, Sub-section (ii) dated the 14th July, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.11.23 12:32:55 +05'30'